राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

No: F.3(1)Legal/F&B/05 653 जयपुर, दिनांक: 27/5/16

अधिसूचना

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगो/स्थापनो के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है।

इस परिपेक्ष्य में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निरीक्षण की व्यवस्था के पुनर्स्थापन/पुनर्विचारण के प्रयोजनार्थ निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले कारखानो का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है:–

(i) उच्च जोखिम के कारखाने
   a) प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने।
   b) वैसे कारखाने जिनमें विगत कलेण्डर वर्ष में सांघातिक दुर्घटना हुई हो।
   c) वैसे कारखाने जिनके विरूद्व विगत कलेण्डर वर्ष में अभियोजन दायर किया गया हो।
   d) राज्य सरकार, माननीय न्यायालय अथवा माननीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्देशित/लम्बित मामले वाले कारखाने अथवा कारखानो के विनिर्माण प्रकिया की श्रेणी।

(ii) मध्यम जोखिम के कारखाने
   a) जोखिम पूर्ण प्रकिया वाले कारखाने (Section 2(cb) of Factories Act, 1948).
   b) खतरनाक संकिया सम्पादित करने वाले कारखाने, गैर जोखिमपूर्ण कारखाने (Section 87 of Factories Act, 1948).
   c) धारा 85 के अन्तर्गत अनुसूचित विनिर्माण प्रकिया सम्पादित करने वाले कारखाने (Section 85 of Factories Act, 1948).

(iii) निम्न जोखिम के कारखाने
   a) सभी गैर जोखिमपूर्ण कारखाने (Rule 2(m) of Rajasthan Factories Rules, 1951).

औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अन्तर्गत मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले कारखाने (Medium Risk Industries) के लिए अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले कारखाने (Medium Risk Factories) का यदि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीफासली (D.G.F.A.S.L.I) से कारखाना अधिनियम, 1948 व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुपालन हेतु accredited & empanelled third party inspection agencies का अंकेक्षण अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) कराकर प्रत्येक वर्ष 30 अप्रेल तक RajFAB (www.rajfab.rajasthan.gov.in) पोर्टल पर प्रस्तुत करते है तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा।

जो कारखाने निर्धारित समय सीमा तक 30 अप्रेल तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करेगें उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

(मुकेश जैन)
मुख्य निरीक्षक एवं पदेन उप सचिव
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग